झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–277 / 2019

मोसमात सूखनी देवी ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1.अध्यक्ष, वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

2. शाखा प्रबंधक, वनांचल ग्रामीण बैंक, गंगापुर, देवघर ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री प्रमोद कुमार झा, अधिवक्ता

विपक्षी दलों के लिए : श्री राज कु0 गुप्ता, श्री निपुन बख्शी, अधिवक्ता के ए0सी0

03 / 13.12.2019 सुना, याचिकाकर्ता और विपरीत पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5487 / 2017 की पुनःस्थापन के लिए प्रार्थना पर, जो समय के भीतर बचे हुए त्रुटियों को दूर करने में विफलता पर 26.09.2018 के लंबित आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील को गिरने के कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और वे लगभग दो महीने तक अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए त्रुटियों को समय के भीतर नहीं हटाया जा सका है, हालांकि याचिकाकर्ता गलती पर नहीं है। यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। वह मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों के दावे के मुकदमें की पैरवी कर रहे हैं।

विपरीत पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

बताई गई परिस्थितियों और पार्टियों के निवेदनों के आधार पर डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5487/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सर्दियों की छुट्टी के बाद कार्यालय खुलने के एक सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका में बचे हुए त्रुटियों को दूर करेंगे।

तद्नुसार, यह याचिका निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)